आयुष में भी पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे अस्पताल और कॉलेज

चंद्रभान यादव

लखनऊ। प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर आयुष अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज भी खोले जा सकेंगे। इसके लिए नए सिरे से गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इसमें सरकारी अस्पतालों एवं कॉलेजों के संचालन की नियमावली में भी बदलाव करने की तैयारी है। इसमें अस्पतालों के संचालन, डॉक्टरों की व्यवस्था, नए अस्पताल खोलने पर निवेशकों की सहूलियत आदि को समाहित किया जाएगा। इसके लिए आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक निदेशकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

प्रदेश में अभी तक तीनों विधा की अलग-अलग नियमावली बनी हुई है। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के संचालन के अलग-अलग नियम हैं।

अस्पतालों के संचालन से लेकर निवेश तक के लिए तैयार हो रही है नियमावली

होम्योपैथिक में मेडिकल स्टोर संचालन के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, लेकिन आयुर्वेदिक एवं यूनानी में अभी लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। इसी तरह डॉक्टरों, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के लिए भी अलग-अलग व्यवस्था है। अब इन तीनों की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा के आधार पर नई नियमावली बनेगी।

सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन में यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि एलोपैथ अस्पतालों की तर्ज पर आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक अस्पतालों को सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। दवा की व्यवस्था, अस्पताल में पानी, बैठने की व्यवस्था आदि के लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किया जाएगा।

16 जिलों में खोले जा रहे हैं कॉलेज

प्रदेश के 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नई नियमावली में आयुष मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी पीपीपी मॉडल अपनाए जाने पर जोर है। इसके लिए तीनों विधाओं के निदेशकों की टीम मॉडल तैयार करेगी। एलोपैथ की अपेक्षा आयुष के मेडिकल कॉलेज खोलने पर कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें एक ही कैंपस में तीनों विधाओं की पढ़ाई के साथ योग, सिद्धा सहित अन्य विधाओं की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए कॉलेज निर्माण के समय ही अलग-अलग फैकल्टी भवन तय कर दिए जाएंगे।